



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032021-225601
CG-DL-E-03032021-225601

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 917]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 2, 2021/फाल्गुन 11, 1942

No. 917]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 2, 2021/PHALGUNA 11, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2021

का.आ. 991(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3444(अ) दिनांक 01.10.2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में NH-754K के कि.मी. 2.045 से कि.मी. 16.39 (उपखण्ड अधिकारी टिब्बी) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का.आ. 3444(अ) दिनांक 01.10.2020 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 13.12.2020 को दैनिक भास्कर और सीमा संदेश दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में NH-754K के कि.मी. 2.045 से कि.मी. 16.39 (उपखण्ड अधिकारी टिब्बी) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।"

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: हनुमानगढ़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: टिब्बी				
	गांव का नाम: 10एसबीएन				
1	5//3	निजी	अनकमाण्ड	0.0279	हिम्मत राम पुत्र खेताराम 2/3 हिस्सा, रावत पुत्र खेताराम 1/3 हिस्सा कौम जागीर साकिन रतनपुरा खातेदार ()
2	5//3	सरकारी	गै मु रास्ता	0.0072	हिम्मत राम पुत्र खेताराम 2/3 हिस्सा, रावत पुत्र खेताराम 1/3 हिस्सा कौम जागीर साकिन रतनपुरा खातेदार ()
	गांव का नाम: 4एनजीआर				
3	36//11	निजी	कमाण्ड	0.2135	भादरराम पुत्र बीरबल 1/3 हिस्सा पृथ्वी पुत्र बीरबल 2/3 हिस्सा कुल 7 दर 2/8 हिस्सा, राजाराम, भूपसिंह, मोहनलाल, कृष्ण पुत्र गणपत राम बहिब 2/8 ()
4	4//25	निजी	कमाण्ड	0.0144	शंकरलाल, दुलीराम 1/2 हिस्सा सूर्या पत्नी रतीराम 1/12 हिस्सा रामस्वरूप, जगदीश, श्योप्रकाश, रोशनी देवी, उर्मिला देवी पिता रतीराम 5/12 हिस्सा जाति जाट साकिन मल्लड़खेड़ा

					()
5	5//3	सरकारी	गै मु रास्ता	0.0105	मनीराम पुत्र भागीरथ 0.122 हिस्सा, लिच्छीराम पुत्र भागीरथ जाति जाट साकिन मल्लइखेड़ा 0.127 हिस्सा ()
6	5//4	सरकारी	गै मु रास्ता	0.0078	लिच्छीराम पुत्र भागीरथ जाति जाट साकिन मल्लइखेड़ा खातेदार ()
			कुल	0.2813	

[फा. सं. NHAI/PIU-JDH/BM/AJEC-RAJ/2018/LA/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd March, 2021

S.O. 991(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 3444(E) dated 01.10.2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-754K on the stretch of land from Km. 2.045 to Km. 16.39 (Sub-Divisional Officer Tibbi) in the district of Hanumangarh in the state of Rajasthan;

And whereas the substance of the said notification S.O. 3444(E) dated 01.10.2020 has been published in Dainik Bhaskar and Seema Sandesh both dated 13.12.2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the NH-754K on the stretch of land from Km. 2.045 to Km. 16.39 (Sub-Divisional Officer Tibbi) in the district of Hanumangarh in the State of Rajasthan.

State: RAJASTHAN			District: HANUMANGARH		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Tibbi				
	Village: 10 SBN				
1	5//3	Private	Uncamand	0.0279	Himmat Ram s/o Kheta Ram 2/3 share Rawat s/o Kheta Ram 1/3 share caste Jagir sakin Ratanpura khatedar
2	5//3	Government	G.M. Rasta	0.0072	Himmat Ram s/o Kheta Ram 2/3 share Rawat s/o Kheta Ram 1/3 share caste Jagir sakin Ratanpura khatedar
	Village: 4 NGR				
3	36//11	Private	Camand	0.2135	Bhadar ram s/o Birbal 1/3 share Prithvi s/o Birbal 2/3 share total 7 dar 2/8 share Rajaram, Bhoopsingh, Mohanlal, Krishna s/o Ganpat Ram all share equal 2/8
4	4//25	Private	Camand	0.0144	Shankarlal, Duliram 1/2 share Surya w/o Ratiram 1/12 share Ramswaroop, Jagdish, Shyopprakash, Roshani Devi, Urmila devi D/o Ratiram 5/12 share caste Jaat sakin Malarkhera
5	5//3	Government	G.M. Rasta	0.0105	Maniram s/o Bhagirath 0.122 share Lichchhiram s/o Bhagirath caste Jaat sakin Malarkhera 0.127 share
6	5//4	Government	G.M. Rasta	0.0078	Lichchhiram s/o Bhagirath caste Jaat sakin Malarkhera khatedar
			TOTAL	0.2813	

[F. No. NHAI/PIU-JDH/BM/AJEC-RAJ/2018/LA/3D]

RAJESH GUPTA, Director